

आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 199/2021 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
शैलेश्वर हाउसिंग डेवलपमेन्ट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पता- पी-14, 45/90, पी ब्लॉक, फस्ट
फ्लोर, कनॉट प्लेस, न्यू दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. सुरेश रावत पुत्र श्री मोहन सिंह रावत
पता :- प्लॉट नम्बर सी-13 ए, श्योनाथ विहार, पांच्यावाला, जयपुर।
एवं नेशनल इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, खातीपुरा रोड, जयपुर।
2. दुर्गा रावत पत्नी श्री सुरेश रावत
पता :- प्लॉट नम्बर सी-13 ए, श्योनाथ विहार, पांच्यावाला, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002


उपस्थित :-

1. श्री रवि कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।


आदेश

दिनांक 03.03.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 24.06.2015 एवं 29.08.2018 पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती दुर्गा रावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-13 ए, श्योनाथ विहार, पांच्यावाला, जिला जयपुर क्षेत्रफल 55 वर्गगज को बन्धक रख कर क्रमशः 09,00,000/-रुपये एवं 06,00,000/-रुपये कुल 15,00,000/- रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.06.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्राची वित्तीय संस्था के सुशोभ्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पञ्जावली एवं प्रस्तुत वरतावेजो का धलीभाति अवलोकन किया गया।
4. प्राची वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 21 जनवरी 2011 का सफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
5. पञ्जावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राची वित्तीय संस्था ने अप्राधीगणों को कुल राशि 15,00,000/-रुपय का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्राधीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्राची वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राधीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से विधमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि रूपये 16,37,625.48/- की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्राधीगण को दिनांक 21.06.2021 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्राधीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्राधीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बंधक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिवक्ता है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्पण में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।
6. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राचीना पत्र स्वीकार कर प्राची वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राधी श्रीमती दुर्गा रावत के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नम्बर सी-13 ए, श्योनाथ विहार, पाँचगावाला, जिला जयपुर क्षेत्रफल 88 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्राची वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति सम्बन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर प्राचीना को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राची वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पञ्जावली नम्बर से कम होकर वाशिल दफ्तर हो।
8. आदेश आज दिनांक 03.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।


(राजेंद्र विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर